न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या-1, वाराणसी

मु. अ.संख्या- 114/2022

JO. No. UP 2077

गौ ज्ञान फाउण्डेशन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

मु.अ.सं.114/2022

धारा-279 भा.दं.सं.

व धारा-11 पशुओ के प्रति क्रूरता निवारण अधि.1960

थाना-रामनगर, वाराणसी।

दिनांक-01/12/2022

पत्रावली पेश की गयी। पत्रावली गौ ज्ञान फाउण्डेशन की ओर से अंकुश शर्मा द्वारा मु.अ.सं.114/2022 में बरामद ऊंटों को गौ ज्ञान फाउण्डेशन के पक्ष में उचित रख-रखाव हेतु सुपुर्द किये जाने संबंधी प्रा.पत्र पर आदेश हेतु नियत है। अभियोजन पक्ष व प्रार्थी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को प्रा.पत्र पर सुना जा चुका है।

गौ ज्ञान फाउण्डेशन की ओर से अंकुर शर्मा द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र न्यायालय द्वारा दिनांकित 07/07/2022 को निस्तारित किया गया था। इसके पश्चात माननीय सत्र न्यायालय द्वारा दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका संख्या-325/2022 में पारित निर्णय दिनांकित 30/09/2022 में इस न्यायालय के आदेश दिनांकित 07/07/2022 को निरस्त करते हुए विधि सम्मत आदेश पारित करने हेतु आदेशित किया गया है।

मु.अ.सं.-114/2022 अन्तर्गत धारा-279 भा.दं.सं. व धारा-11 पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 में जब्त किये गये ऊंटों गौ ज्ञान फाउण्डेशन की ओर से अंकुर शर्मा द्वारा प्रा.पत्र प्रेषित करते हु कथन किया गया है कि गौ ज्ञान फाउण्डेशन पशुओं के रख-रखाव व पुनर्वास हेतु मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड संस्था है। दौरान उपरोक्त मुकदमे में बरामद ऊंटों की उचित देखभाल संबंधित थाने पर नहीं हो पा रही है। अतः बरामद ऊंटों की उचित देखभाल हेतु ऊटों को अनुकूल वातावरण में रखे जाने हेतु बरामद ऊटों को सुरक्षित अभिरक्षा में एनिमल केयर शेल्टर तथा वेटरनरी हास्पिटल, निकट सारणेश्वर मंदिर, सिरोही को सौंपा जाये।

मु.अ.सं.-114/2022 थाना-रामनगर में श्रीमती आर.लता देवी जो गौ ज्ञान फाउण्डेशन की प्रतिनिधि है, के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया था तथा श्रीमती आर.लता की सूचना पर दिनांकित 27/06/2022 को ऊंट लदा वाहन UP17AT7816 से 16 ऊंटों को अमानवीय तरीके से लादकर ले जाते हुए बरामद किया गया था।

संबंधित विवेचक/उपनिरीक्षक से प्राप्त आख्या दिनांकित 28/11/2022 के अनुसार तीन अदद मादा ऊँट की मृत्यु दौरान इलाज हो गयी थी व एक ऊंट की मृत्यु दिनांक 25/11/2022 को बीमारी के कारण हो गयी है।

विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा कथन किया गया है कि सिर्फ राजस्थान में ही ऊंटों को रखा जाना उचित जलवायु नहीं है बल्कि देश के अन्य भागों में ऊंटों को रखा जाता है। इस संबंध में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा यह आख्या प्रस्तुत की गयी कि वाराणसी जनपद में गोवंश हेतु कई खाली गौशाला है, लेकिन गौशाला में ऊंट रखा नहीं जा सकता, क्योंकि दो विपरीत प्रजाति के जानवर एक साथ रखा जाना न्यायसंगत नहीं है तथा वर्तमान में जनपद में कोई भी पिन्जरापोल नहीं है। पशु चिकित्साधिकारी की आख्या से स्पष्ट है कि वाराणसी में ऊंटों के रख-रखाव व उचित देखभाल हेतु कोई मान्यता प्राप्त संस्था नहीं है। पशु चिकित्साधिकारी द्वारा दिनांक 28/10/2022 को यह मनतव्य दिया गया है कि प्राकृतिक रूप से पहले से वाराणसी एवं प्रयागराज में गंगा किनारे ऊंट पाले जा रहे हैं एवं ऊंटों को यहाँ पलने में कोई विशेष परेशानी नहीं होती है। बरामद ऊंटों को पशु पालकों की देखरेख हेतु सुपुर्द किया गया था तथा वर्तमान में ऊंट वाराणसी के वातावरण में ढल चुके हैं, लेकिन पशु चिकित्साधिकारी द्वारा ऊंटों के रख-रखाव हेतु अनुकूल वातावरण होने के संबंध में कोई स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा यह भी कहा गया है कि गौशाला या पिंजरा पोल गंगा किनारे रखे जाने हेतु नहीं है और रख-रखाव हेतु पशु पालकों को दिये गये ऊंटो में चार ऊंटों की मृत्यु हो जाना इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि बरामद ऊंटों का रखरखाव ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है, ऊंटो के पुनर्वास हेतु अनुकूल वातावरण नहीं है।

मुख्य चिकित्साधिकारी वाराणसी की ओर से प्रेषित आख्या में अधिकांशतः ऊंटों का स्वस्थ होना दर्शित किया गया है।

न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 07/07/2022 में जिलाधिकारी वाराणसी को यह दर्शित किया गया था कि वे ऊंटों को पी.एफ.ए. एनिमल केयर शेल्टर व वेटरनरी हॉस्पिटल, सिरोही राजस्थान को भेजे

Scanned with CamScanner

जाने हेतु ट्रांसपोरेशन की उचित व्यवस्था करे, लेकिन उक्त आदेश के पश्चात जिलाधिकारी वाराणसी द्वारा जारी पत्र में यह कथन किया गया है कि ऐसी कोई शासकीय योजना नहीं है, जिसमें जानवरो को स्थानन्तरित किया जाये तथा इस हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के बजट सेक्शन द्वारा किसी प्रकार का बजट उपलब्ध नहीं कराया जाता है तथा साथ ही साथ एस.पी.सी.ए. जैसी संस्था में भी उपरोक्त धनराशि उपलब्ध नहीं है।

गौ ज्ञान फाउण्डेशन भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड संस्था है। भारत के पशु कल्याण बोर्ड में पंजीकृत है। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी एवं वाराणसी में पशुओं की देखरेख पुनर्वास व उचित रख-रखाव हेतु कोई मान्यता प्राप्त आश्रय स्थल नहीं है तथा साथ ही साथ वाराणसी में रखे जाने के दौरान चार ऊंटों की मृत्यु हो जाना इस तथ्य की ओर दर्शित करता है कि वाराणसी में ऊंटों के रखे जाने का अनुकूल वातावरण नहीं है तथा मुख्य चिकित्साधिकारी से भी प्राप्त आख्या में इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है कि ऊंटों के रख-रखाव हेतु वाराणसी का वातावरण अनुकूल है। साथ ही साथ Rajasthan Camel (Prohibition of Camel of slaughter and regulation to temporary) Migration act. 2015. का रूल 5 यह प्रावधान करता है कि Camels are protected animals and are not supposed to be in any other state even for domestication or for safari in any state other than Rajasthan.

पशुओं के प्रति क्रुरता निवारण पशुओं की देखभाल एवं भरण पोषण नियमावली 2017 के नियम 3 यह प्रावधान करता है कि किसी भी जानवर को पिंजरापोल, एस.पी.सी.ए. या गौशाला से संबंधित पशु कल्याण संस्था की सुपुर्दगी में विवेचना या विचारण के दौरान मजिस्ट्रेट के द्वारा दी जा सकती है।

Dhyan Foundation vs The State Of Assam And 2 Ors Crl.Pet. 452/2020 में माननीय गुहावटी उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया है कि the case has been registered under the Special Act, i.e., the Prevention of Cruelty to Animals, Act, 1960 and as such, the learned Court has to deal with the matter of seized article as per the provisions of the Act as well as the Rules made thereunder. In terms of the provisions of the Act and the Rules, pending investigation, the custody of animals can be given to the category of organizations as named in Rule 3 (b) of the Rules, 2017, which includes Animal Welfare Organization.

ऊंट के रख-रखाव, पुनर्वास हेतु अनुकूल वातारवरण, पशुओं के प्रति क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 में प्रावधान Rajasthan Camel (Prohibition of Camel of slaughter and regulation to temporary) Migration act. 2015. के प्रावधान तथा माननीय न्यायालय द्वारा पारित सिद्धान्त, व उपरोक्त समस्त विश्लेषण के आधार पर ऊंटों की अभिरक्षा हेतु निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

गौ ज्ञान फाउण्डेशन की ओर से अंकुर शर्मा द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र स्वीकार करते हुए निम्नवत आदेश पारित किया जाता है:-

1. गौ ज्ञान फाउण्डेशन के प्रतिनिधि इस आशय का अण्टरटेकिंग प्रस्तुत करे कि न्यायालय द्वारा आदेश किये जाने पर अपने खर्चे पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा ऊँटों के पुनर्वास, उचित देखभाल तथा चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
2. थानाध्यक्ष/विवेचक को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त प्रकरण में सभी जीवित ऊँटों को विचारण के दौरान अभिरक्षा हेतु गौ ज्ञान फाउण्डेशन के प्रतिनिधि को अभिरक्षा प्रदान करें।
3. विवेचक/थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि इस प्रकरण में सभी जीवित ऊंटों का मुल्याकंन करे तथा उसे अभियोजन दस्तावेज के रूप में सुरक्षित रखे।
4. विवेचक को आदेशित किया जाता है कि जीवित ऊंटों के, पी.एफ.ए. एनिमल केयर शेल्टर तथा वेटनरी हॉस्पिटल सिरोही राजस्थान में प्रेषित किये जाने के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तैयार करे तथा उसे अभियोजन दस्तावेज के रूप में सुरक्षित रखा जाये।
5. गौ ज्ञान फाउण्डेशन को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में सभी जीवित बचे ऊंटों को रामनगर वाराणसी से सिरोही राजस्थान ले जाने हेतु परिवहन का खर्च स्वयं वहन करेंगे। अभिरक्षा में रखे गये ऊंटो के संबंध में यदि किसी अन्य के द्वारा स्वामित्व साबित किये जाने पर स्वामी, गौ ज्ञान फाउण्डेशन द्वारा किये गये परिवहन खर्च, रख-रखाव के खर्च व अन्य खर्च की प्रतिपूर्ति के लिये उत्तरदायी होंगे।
6. जिलाधिकारी वाराणसी को निर्देशित किया जाता है कि ट्रांसपोर्टशन के दौरान ऊंटों के भोजन व चिकित्सा व्यवस्था व अन्य आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु संबंधित को निर्देशित करें।

आदेश की प्रति जिलाधिकारी वाराणसी व पुलिस आयुक्त वाराणसी व संबंधित थानाध्यक्ष को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाये।

5/12/22

अपर मुख्य न्यायिक मजि.
कोर्ट सं. 01, वाराणसी।

Scanned with CamScanner